न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 69/2010/(2010/00003) जिला–नागौर

1. भोजराज पुत्र सोहनलाल
2. सोहनलाल पुत्र ज्ञानाराम
3. दूलीचन्द पुत्र सोहनलाल
   समस्त जाति माली निवासीगण मंगलपुरा तहसील लाडनू जिला नागौर।

–––अपीलार्थीगण

बनाम

कमला देवी पत्नी सम्पतलाल जाति माली निवासी दूजार तहसील लाडनू जिला नागौर।

–––––प्रत्यर्थी

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी लाडनू
दिनांक 12–05–2010 अन्तर्गत अपील संख्या 86/2009
बउनवान कमला देवी बनाम सोहनलाल व अन्य

———

उपस्थित– 1. श्री वरदान सिंह अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री सहदेव चौधरी, अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः–10–01–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी ने उपखण्ड अधिकारी, लाडनू के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया कि ग्राम खिन्दास तहसील लाडनू में अवस्थित आराजी खसरा नम्बर 55/64 रकबा 25 बीघा भूमि उसकी खातेदारी व कब्जे काश्त की है। जिसको अपीलार्थी संख्या 2 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13–10–1998 द्वारा प्रत्यर्थी के पति सम्पत लाल को विक्रय की थी तब से लेकर आदिनांक तक विवादित आराजियात पर कब्जा काश्त उसका चला आ रहा है। प्रत्यर्थी की खरीदशुदा भूमि के उत्तर दिशा में अपीलार्थीगण की शेष भूमि स्थित है। प्रत्यर्थी घरेलू महिला है जिसका पति बाहर रहता है और अपने खेत को बाटे पर अन्य काश्तकारों को बोने के लिए देती

है जिसका नाजायज फायदा उठाकर अपीलार्थीगण प्रत्यर्थी की सीमाओं को अपने खेत मे मिलाते रहते है। इसलिए सीमाचिन्हों को सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर सही स्थान पर करने से मना करने के कारण प्रत्यर्थी को अपने खेत की सीमाओं पर पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक हो गया है। पक्षकारों के मध्य विवादित आराजियात बाबत एक सिविल वाद भी सिविल न्यायाधीश लाडनू के समक्ष विचाराधीन है। वर्ष 1998 के पश्चात पक्षकारों के मध्य विवादित आराजियात को लेकर कोई नापचौक अपीलार्थीगण के समक्ष नहीं हुआ है। अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थी की कोई नींव सींव को खुर्दबुर्द नहीं किया है और न ही कभी कोई सीमाचिन्ह वगैरह हटाये है। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी ने खसरा नम्बर 55 के समस्त सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाडनू ने अपने अपीलााधीन आदेश दिनांक 12–5–2010 द्वारा प्रत्यर्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आराजियात खसरा नम्बर 55/64 रकबा 25 बीघा भूमि का अभिलेखानुसार सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी करने का आदेश देते हुए अपीलार्थीगण के खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 55 का भी सीमाज्ञान करने का आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाडनू ने आदेश अन्तर्गत अपील पारित करने से पूर्व किसी प्रकार की जांच नहीं की। मात्र प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दर्शाये गये तथ्यों पर विश्वास करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व धारा 128 व 111 भू–राजस्व अधिनियम को ध्यान में नहीं रखा। धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों को नजरअन्दाज कर सरसरी तौर पर प्रत्यर्थी का प्रार्थना पत्र बिना किसी आधार के स्वीकार कर लिया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मिस्कन्सीव्ड था। प्रत्यर्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में केवल अपीलार्थीगण को ही पक्षकार बनाया था जबकि उसको विवादित आराजियात के आस–पड़ौस के समस्त खातेदारों को पक्षकार बनाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त आराजी खसरा नम्बर 55 के भी समस्त खातेदारों को प्रत्यर्थी ने पक्षकार नहीं बनाया। जिसके अभाव में नॉन जोईंडर ऑफ नेसेसरी पार्टीज के कारण प्रत्यर्थी का प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं था।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि विवादित भूमि का पक्षकारों के मध्य वर्ष 1998 में ही सीमाज्ञान पटवारी हलका द्वारा करवाया जा चुका था तथा उसी समय नींव सींव अलग–अलग करवाया जा चुका था तथा उसी समय नींव सींव अलग–अलग डालकर तारबन्दी करवाकर कब्जा प्रत्यर्थी को सुपुर्द कर दिया गया था तथा उक्त खेत में पत्थरगढ़ी व सीमाओं बाबत कोई विवाद शेष नहीं रहा । जब विवादित भूमि की पूर्व में ही पत्थरगढ़ी की जा चकी थी तथा पक्षकारान उक्त

पत्थरगढ़ी के अनुसार अपनी–अपनी भूमि पर काबिज थे तो पुनः विवादित भूमि की पत्थरगढी नये सिरे से नहीं की जा सकती है। प्रत्यर्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में झूठा तथ्य प्रस्तुत किया। जब अपीलार्थीगण ने किसी प्रकार से प्रत्यर्थी की खातेदारी भूमि की नींव सींव को खुर्द बुर्द नहीं किया तो बिना किसी साक्ष्य के प्रत्यर्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त पक्षकारों के मध्य सिविल न्यायालय व अन्य न्यायालय में विवादित भूमि को लेकर प्रकरण विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में भी अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की उन्होंने पक्षकारों को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12–5–2010 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस के जवाब में प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी के पति सम्पत लाल ने अपीलार्थी संख्या 2 से विवादित भूमि जरिये रजिस्ट्री दिनांक 13–10–1998 को क्रय की थी जिसे बाद में प्रत्यर्थी ने भूमि अपने नाम करवा ली। इस भूमि पर प्रत्यर्थी का कब्जा काश्त है। प्रत्यर्थी की खरीदशुदा भूमि के उत्तर में अपीलार्थीगण की शेष भूमि आयी हुई है तथा वे प्रत्यर्थी के खेत की उत्तरी सींव को काटकर खुर्दबुर्द करते रहे है। प्रत्यर्थी ने अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाया था जिसमें एक गट्टा भूमि अपीलार्थीगण के खेत में दबी हुई पाई गई। अपीलार्थीगण ने इस भूमि को वापस देने का आश्वासन दिया। प्रत्यर्थी घरेलू महिला है जिसका अपीलार्थीगण नाजायज फायदा उठाकर खेत की सीमा को खुर्द बुर्द करने पर उतारू है। इस कारण मौजा खिन्दास के खेत खसरा नम्बर 55/64 रकबा 25 बीघा के सीमाओं की पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रत्यर्थी कानूनन अपनी भूमि का सीमाज्ञान कराने की हकदार है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाडनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12–05–2010 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम खिन्दास तहसील लाडनू में अवस्थित आराजी खसरा नम्बर 55/64 रकबा 25 बीघा भूमि प्रत्यर्थी कमला की खातेदारी व कब्जे काश्त की है। जिसको अपीलार्थी संख्या 2 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13–10–1998 द्वारा प्रत्यर्थी के पति सम्पत लाल को विक्रय की थी तब से लेकर आदिनांक तक विवादित आराजियात पर कब्जा काश्त उसका चला आ रहा है। अपीलार्थीगण द्वारा उसकी सींव नींव को खुर्दबुर्द करते रहने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्थरगढ़ी/सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। चूंकि प्रत्यर्थी कमला पत्नी सम्पतलाल विवादित आराजियात की रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है जो अपनी कब्जशुदा आराजियात का सीमाज्ञान कराने की हकदार है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाडनू द्वारा

विवादित आराजियात खसरा नम्बर 55/64 रकबा 25 बीघा का सीमांकन/पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विशलेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी,) लाडनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12–05–2010 अपील संख्यार 86/2009 बउनवान कमला देवी बनाम सोहन लाल व अन्य विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10–01–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर